न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

सप्लाई विविध प्रकरण सं 03/2015

प्रार्थी

थानाधिकारी
पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी
जिला (पश्चिम) महानगर
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

धीमाराम पुत्र मीराराम विश्नाई
निवासी गुड़ा विश्नोईयान
तहसील लूणी, जिला जोधपुर

धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र

निर्णय दिनांक **12.03.2018**

यह प्रकरण प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जिला (पश्चिम) महानगर जोधपुर द्वारा धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 11.12.2014 को एसीपी सा0 मय जाब्ता गश्त हल्का हेतु पुलिस थना कुडी भगतासनी से अनुसंधान बाक्स लेकर रवाना हुए। मोगड़ा मोड पहुँचे तो मुखबिर ईत्तला पर धीमाराम गुडा गांव के चौकी के पास अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहा था। गुडा गांव के जहां रोड के साईड में बनी दुकानों पर कार्नर गली दुकान पर कुछ मोटरसाईकिल वाले खडे थे। एसीपी सा0 द्वारा दुकान पर पहुँच उक्त शक्स जो तेल बेच रहा था व हाथ में नाप था भागने के प्रयास करने पर पुलिस जाब्ता की मदद से घेर कर पकडा व उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम धीमाराम पुत्र मीराराम जाति विश्नोई गांव गुडा विश्नोईयान होना बताया दुकान के बाहर पडे जरीकन को चैक किया तो उसमें पेट्रोल भरा हुआ पाया व पास में नापने के दस,पांच, एक, आधा लीटर के नाप पडे मिले व हाथ में 2 लीटर का नाम मिला व जरीकेन में तेल निकालने की मशीन लगी हुई मिली। इतनी मात्रा में पेट्रोल रख कर बेचने के संबंध में लाईसेन्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पास केवल डीजल बेचने का लाईसेन्स है। बिना लाईसेन्स के पेट्रोल भी बेचता हूँ, और बिना लाईसेन्स के पेट्रोल जो जरीकन में मिला उसका नाप किया तो कुल 48 लीटर नाप पाया गया। एक लीटर पेट्रोल रसायनिक जांच

हेतु अलग से शीलबन्द किया गया। शेष 47 लीटर उसी जरीकन में बन्द कर शील्ड किया गया और पेट्रोल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है जिसे शीघ्र निस्तारण करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी ने जवाब नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी गुडा विश्नोईयान का स्थाई निवासी है। अप्रार्थी एक पशु पालक व किसान है तथा अप्रार्थी अपने नाम से डीजल रखने व विक्रय करने का व्यवसाय भी करता है। अप्रार्थी के पास जिला रसद अधिकारी जोधपुर से डीजल रखने व विक्रय करने का लाईसेन्स सं SUP/DBP/3/2/98/36 लिया हुआ है। अप्रार्थी ग्रामीण है तथा दूध का व्यवसाय भी करता है। अप्रार्थी के पास अपने निजी पेट्रोल के वाहन है तथा अप्रार्थी को अपने वाहनों को चलाने हेतु पेट्रोल की आवश्यकता होती है तथा आस–पास के क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प नहीं है । इस कारण अप्रार्थी दिनांक 10.12.2014 को ही अपने वाहन हेतु 55 लीटर खरीद कर लाया था। जिसका बिल मैसर्स मंगल फिलिंग स्टेशन पाल लिंक रोड़ शास्त्री नगर जोधपुर का जारी किया हुआ है, जो पेट्रोल अवैध नहीं था और न ही मौके पर पेट्रोल विक्रय करता हुआ पाया गया। अप्रार्थी के पास जो नाप के उपकरण बताये गये है। उक्त उपकरणों से अप्रार्थी डीजल का विक्रय करता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही ड्रोप की जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया । इस प्रकरण तथ्य यह है कि एसीपी (पश्चिम) दिनांक 11.12.2014 को गश्त के दौरान मोगड़ा मोड पहुँचने पर मुखबिर ईत्तला विश्वसनीय होने से एसीपी मय जाब्ता मोगडा होते हुए गुडा गांव पहुँचे जहां रोड पर बनी दुकानों पर कार्बर गली दुकान पर कुछ मोटर साईकिल वाले खडे थे। एक शक्स नाप उपकरण के मोटर साईकिल में तेल डाल रहा था । उसने अपना नाम धीमाराम पुत्र मीराराम विश्नोई निवासी गुडा विश्नाईयान होना बताया दुकान के बाहर पडे जरीकन को चेक करने पर उसमें पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। पास नापने के उपकरण भी मिले। धीमाराम को पेट्रोल के लाईसेन्स के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पास डीजल बेचने का लाईसेन्स है जो जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी होना बताया। अप्रार्थी ने जो पेट्रोल का बिल दिनांक 10.12.14 जो मैसर्स मंगल फिंलिग स्टेशन पाल लिंक रोड शास्त्री नगर का बताया गया है। उस बिल में जो नाम धीमाराम पुत्र मीराराम नाम लिखा है। जो किसी दुसरे के बिल पर बाद में नाम लिखा है। अप्रार्थी अपने गांव से इतनी दूर से पेट्रोल क्यों खरीदा उसके गांव के आस–पास ओर भी पेट्रोल पम्प है। इतनी दूर आकर पेट्रोल खरीदने का संशय उत्पन्न करता है।

एसीपी (पश्चिम) दिनांक 11.12.14 को अप्रार्थी धीमाराम की दुकान से 47 लीटर पेट्रोल के अलावा अन्य उपकरण भी जब्त किये। अप्रार्थी धीमाराम को जिला रसद अधिकारी जोधपुर से डीजल बैरल पोईन्ट हेतु लाईसेन्स जारी

किया हुआ है जो 31.03.18 तक वैध है। एसीपी द्वारा पेट्रोल के अलावा अन्य उपकरण जो जब्त किये है वह डीजल के नाप हेतु काम में लिये जा रहे थे। जिन्हे जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है, जो अप्रार्थी को नियमानुसार पुनः लौटाया जाये।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने किन रजिस्टर्ड वाहनों के लिए 55 लीटर पेट्रोल मंगल फिलिंग स्टेशन शास्त्रीनगर जोधपुर से खरीदा ।

अतः अप्रार्थी का प्रतिउत्तर विश्वसनीय नहीं है।

आदेश

धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्तसुदा 47 लीटर पेट्रोल को राज्यसात (Confiscate) किया जाकर आदेश दिया जाता है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जिला रसद अधिकारी जोधपुर की देखरेख में अधिकृत पेट्रोल पम्प पर विक्रय किया जाकर प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा करावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर